पत्रांक–फोल्डर सं.सं–01 / 2023(प्रा0शि0) 267 /

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

Email id - edu.jharkhand@gov.in , hrdjharkhand@gmail.com

प्रेषक,

के0 रवि कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 08-02-2023

विषय :– शिक्षकों को गैर–शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय ज्ञापांक–2760 दिनांक–04.02.2022 एवं ज्ञापांक–187 दिनांक–04.02.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विदित है कि शिक्षा के गुणात्मक विकास एवं छात्र हित के दृष्टिकोण से शिक्षकों को गैर–शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने के संबंध में प्रसंगाधीन पत्रों (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत है।

उक्त के बावजूद गैर–शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रशासी विभाग की अनुमति / स्वीकृति अथवा परामर्श के बगैर करने के मामले प्रायः विभाग के संज्ञान में आते हैं, जो काफी गम्भीर विषय है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पुनः निदेश दिया जाता है कि अन्य कारणों से प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति (यदि कोई हो) तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाय एवं शिक्षकों को गैर–शैक्षणिक कार्य से अलग रखने हेतु पूर्व में प्रवृत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा अतिविशिष्ट स्थिति में ही विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त कर अल्प अवधि हेतु शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

6/2/23

(के0 रवि कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – 267 /   राँची, दिनांक– 08-02-2023

प्रतिलिपि– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची एवं सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/2/23

सरकार के सचिव।

संचिका सं0-02/वि01-78/2014-187

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

e-Mail; edu.jharkhand@gov.in/hrdjharkhand@gmail.com

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 04-02-2022

विषय :- शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि शिक्षा के गुणात्मक विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों के अभाव को दूर करने हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस दिशा में सतत् प्रयत्नशील रहा है; परन्तु यह भी आवश्यक है कि कार्यरत शिक्षकों द्वारा सुचारु रुप से शैक्षणिक कार्य निष्पादित किया जाय, यह तब ही संभव है जब शिक्षक विद्यालयों में निर्धारित सम्पूर्ण कार्यावधि में उपस्थित रहें।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति गैर शैक्षणिक कार्यो में प्रशासी विभाग के अनुमति, स्वीकृति या परामर्श के बगैर ही किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि विद्यालयों में शिक्षकों के कमी से विधार्थियों के पठन-पाठन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो छात्रहित के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुचित एवं अव्यवहारिक है।

ऐसी परिस्थिति में छात्रहित को सर्वोपरि एवं दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयी पाठ्क्रम एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों तथा क्रियाकलापों को ससमय गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किया जाए। इस दिशा में सभी शिक्षक का सक्रिय एवं सार्थक सहयोग वांछनीय है तथा इस निमित्त विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है।

ज्ञातव्य है कि छात्रहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाने हेतु मुख्य सचिव कार्यालय के पत्रांक-893 दिनांक 15.04.2015 एवं विभागीय पत्रांक-839 दिनांक 07.04.2015 एवं पत्रांक-485 दिनांक 22.03.2017 द्वारा पूर्व में भी आप सभी को अवगत कराया गया है।

कृ०पृ०उ०

SNK,D

अतः अपरिहार्य स्थिति में यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संगत धाराओं, निर्वाचन आयोग, विभागीय अधिसूचना संख्या-2144 दिनांक 02.11.2021 की कंडिका-6 में निर्गत दिशा निर्देश एवं अतिविशिष्ट स्थिति में ही शिक्षकों की प्रतिनियुक्त की जाए, अन्यथा सक्षम प्राधिकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त कर अल्पअवधि हेतु ही उनकी प्रतिनियुक्ति की जाय।

उक्त परिप्रेक्ष्य में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए अन्य कारणों से प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करना सुनिश्चित किया जाए व शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से अलग रखने हेतु पूर्व में प्रदत्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

03/02/2022

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 187 राँची, दिनांक- 04-02-2022

प्रतिलिपि- सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/02/22

सरकार के सचिव।

46

संचिका सं0–02/वि0–08/2022, - 2760

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

E-Mail-edu.jharkhand@gov.in/hrdjharkhand@gmail.com

प्रेषक,

के0 रवि कुमार, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 07-12-2022

विषय :– शिक्षको को गैर–शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय ज्ञापांक–187 राँची दिनांक–04.02.2022

महाशय,

विदित है कि गुणवत्तायुक्त शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में शिक्षकों की अहम् भूमिका है। छात्र हित में शिक्षकों को अपने उत्तरदायित्व के सफलतापूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करने की दिशा में जहाँ एक ओर शिक्षकों के नियमानुकूल एवं युक्तिसंगत मापदण्डों के आधार पर विद्यालयों में युक्तिकरण एवं स्थानान्तरण करने हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सतत् प्रयत्नशील है, वही दूसरी ओर कार्यरत शिक्षकों के द्वारा सुचारू रूप से शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने हेतु उन्हें विद्यालय में निर्धारित सम्पूर्ण कार्यावधि का शत्–प्रतिशत उपयोग समय तालिका व पाठ्ययोजना आधारित पाठ्यक्रम संचालन एवं पाठ्यसहगामी गतिविधियों/क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है।

ध्यातव्य है कि विगत वर्षों में कोविड–19/कोरोना महासंक्रमण काल के दौरान विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियाँ बाधित हुई हैं जिसके फलस्वरूप छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक प्रगति में काफी गिरावट आई है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के क्षेत्रीय भ्रमण व निरीक्षण एवं शिक्षक संघ के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों से हो रही वार्ता के आलोक में प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति गैर–शैक्षणिक कार्यो में प्रशासी विभाग के अनुमति, स्वीकृति या परामर्श के बगैर ही किया जाता है। इस संबंध में विषयाधीन पत्र आपको पूर्व से ही निर्गत है जिसका अक्षरशः अनुपालन छात्रहित में नितांत आवश्यक है।

यह भी ध्यातव्य है कि "ई–विद्यावाहिनी" एक समेकित I.C.T. पटल के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुई है जिसकी माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सम्पूर्ण राज्य में शैक्षिक विकास के प्रचार–प्रसार हेतु शैक्षणिक सेवा एवं अधिगम प्रतिफल के अनुश्रवण, मापन एवं रूपान्तरण हेतु सशक्त होकर सक्रिय है एवं सार्थक परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस एप/पोर्टल से राज्य के सभी विद्यालयों, शिक्षकों एवं छात्र–छात्राओं को जोड़ दिया गया है ताकि बच्चों के सर्वागींण विकास हेतु किसी प्रकार का कोई आधारभूत ढाँचा, शिक्षा के प्रचार–प्रसार, अधिगम प्रतिफल, कार्यक्रम संचालन, अधिविद्य पहल, संसाधन प्रबंधन आदि संबंधी कार्य सम्पादित करने की दिशा में कोई संसाधनात्मक, तकनीकी एवं कौशलात्मक, निधि संबंधी ससमय अनुश्रवण व विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण व निष्कर्ष में कोई त्रुटि शेष न रह जाय।

ऐसी स्थिति में शिक्षकों के अन्यत्र प्रतिनियोजन से शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। सभी शिक्षकों का **"ई–विद्यावाहिनी"** पोर्टल से निबंधित होकर जुड़े होने के कारण उनके विद्यालयों में ससमय उपस्थिति, उनके द्वारा सम्पादित शैक्षणिक कार्यो एवं योगदान का नियमित अनुश्रवण होता है एवं **वेतनादि का भुगतान** भी उनके अनुपस्थिति विवरणी आदि के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार सभी शिक्षकों के द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस पर अपने विद्यालय में ससमय उपस्थित होकर विद्यालय कार्यावधि में अपने कार्य–दायित्वों का निवर्हन नितांत आवश्यक है जिसका "ई–विद्यावाहिनी" पोर्टल के माध्यम से सतत् अनुश्रवण किया जा रहा है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में पुनः स्मारित किया जाता है कि अन्य कारणों से प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति (यदि कोई हो तो) तत्काल् प्रभाव से रदद् करना सुनिश्चित किया जाय एवं शिक्षकों को गैर–शैक्षणिक कार्य से अलग रखने हेतु पूर्व में प्रवृत्त निदेर्शो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अन्यत्र प्रतिनियोजित नहीं किया जाय।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

2/12/2022

(के0 रवि कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 2760 राँची, दिनांक – 07-12-2022

प्रतिलिपि– सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी /सभी विद्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/12/2022

सरकार के सचिव।